ए.

इन आरईःएन. आई. अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों का अनुभवजन्य परीक्षण

(2020 का सुओ मोटू रिट (आपराधिक) संख्या 2) 19 मई, 2022

[एल**.** नागेश्वर राव**,** बी**.** आर**.** गवई और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 -s.138-उच्चतम न्यायालय ने यू/एस शिकायतों के परीक्षण के संचालन के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए थे।138 – एन. आई. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए शिकायतों और मुकदमों के संबंध में न्यायिक डॉकेट को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में सुझावों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था-विशेषज्ञ समिति ने डॉकेट विस्फोट की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से विशेष एन. आई. अदालतों के निर्माण का सुझाव दिया-न्याय मित्र ने हालांकि आग्रह किया कि प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न के साथ विशेष अदालतों के निर्माण का सुझाव व्यवहार्य या व्यावहारिक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुरंत डेनोवो अदालतों की स्थापना करना और नए उम्मीदवारों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करना संभव नहीं होगा-न्याय मित्र द्वारा यह आग्रह किया गया था कि सेवानिवृत्त न्यायिक/प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का विकल्प, जिन्होंने एक निश्चित वेतन के लिए विशेष न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया है और अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन किया है, उनका पता लगाया जाए-न्याय मित्र।

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः2020 का सुओ मोटो राइट (आपराधिक) नंबर 2।

जी.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

एस. वी. राजू, ए. एस. जी., वी. कृष्णमूर्ति, सुश्री गरिमा प्रसाद, नीरज, ए. ए. जी., सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता (ए. सी.), थॉमस पी. जोसेफ, एस. सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, के. परमेश्वर, (ए. सी.) सुश्री ए. श्रीगुरुप्रिय, लक्ष्य मेहता, ए.

एच.

276

277

इन आरईःएन. आई. अधिनियम 1881 ए की धारा 138 के तहत मामलों का अनुभवजन्य परीक्षण

रजत माथुर, अनमोल खेटा, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा, सुश्री उत्तरा बब्बर, मनन बंसल, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री एना उपाध्याय, सुश्री मान्या हसीजा, सुश्री प्रीति सिंह, आकाश सिंह, निर्णिमेश दुबे, वी. एन. रघुपति, मो. अपजल अंसारी, परीक्षित पी. अंगड़ी, अरविंद एस., सुश्री सी. रुबावती, सुश्री क्रिस्टी जैन, पाई अमित, अर्जुन गर्ग, अभिमन्यु झांबा, सुश्री थोंपिनाओ थंगल, समीर अली खान, प्रदीप मिश्रा, सूरज सिंह, सुश्री प्रगति नीखरा, सुश्री तरुणा अर्धेन्दुमौली प्रसाद, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री मनीषा सिंह, सुश्री तान्या चौधरी, सुहान मुखर्जी, निखिल परीक्षित, विशाल प्रसाद, अभिषेक मनचंदा, सायनदीप पहाड़ी, तन्मय सिन्हा, एम/एस. पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी, सुश्री मनीषा अंबवानी, सिब

जी.

एच.

278

चाको, सुदेश कुमार, प्रशांत श्रीकांत केंजाले, सतीश पांडे, कुणाल चटर्जी, श्री पाल सिंह, शरण ठाकुर, महेश ठाकुर, सिद्धार्थ ठाकुर, विश्वेंद्र सिंह, सुश्री विपाशा सिंह, अजय कनोजिया, संजय कुमार पाठक, अरविंद कुमार त्रिपाठी, सुश्री शशि पाठक, मलक मनीष भट्ट, हिमांशु शेखर, पार्थ शेखर, समीर पारेख, निशे राजन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, अलीम अनवर, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।अदालतों के प्रस्ताव द्वारा।

व्यक्तिगत रूप से आवेदक।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. इस न्यायालय की संविधान पीठ के एक निर्णय द्वाराः

एन. आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतों के परीक्षण के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए गए थे। 2.इस अदालत ने अपने बाद के आदेश दिनांक 31.03.2021 द्वारा उच्च न्यायालयों से निर्णय में निहित निर्देशों के अनुपालन का संकेत देने वाली स्थिति रिपोर्ट दायर करने की आवश्यकता थी और यह भी कि क्या निर्णय के अनुरूप नियम उचित रूप से बनाए गए थे।इसी तरह, पुलिस नियमावली आदि में आवश्यक संशोधन किए जाने थे।आज की तारीख तक, पटना उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी उच्च न्यायालयों ने निर्देशों का पालन किया है और संशोधित नियमों का प्रस्ताव रखा है।कई राज्यों में संशोधित नियमों को अधिसूचित भी किया गया है।

3. आई. डी. 1 पर, बड़ी पीठ के उक्त निर्णय द्वारा, परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराधों के लिए शिकायतों और मुकदमों के संबंध में न्यायिक डॉकेट को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में विभिन्न सुझावों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा डॉकेट विस्फोट की समस्या से निपटने के लिए अनुच्छेद 247 के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर नए सिरे से विशेष एन. आई. अदालतों का गठन किया जाए। विशेषज्ञ समिति ने निचली अदालत के स्तर पर दो श्रेणी के न्यायाधीशों और अपीलीय/संशोधन स्तर पर दो श्रेणी के न्यायाधीशों के साथ एक योजना का प्रस्ताव रखा। विशेषज्ञ समिति की गणना के अनुसार, इन विशेष एन. आई. न्यायालयों की स्थापना के लिए 1,826 विशेष न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और कुल 1 करोड़ रुपये की लागत की आवश्यकता होगी।

जी.

1 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 325 ए

एच.

279

इन आरईःएन. आई. अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों का विशिष्ट परीक्षण [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

4. न्याय मित्र ने सुनवाई में आग्रह किया कि प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न के साथ विशेष अदालतों के निर्माण का सुझाव व्यवहार्य या व्यावहारिक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुरंत नए अदालतों की स्थापना और नए उम्मीदवारों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करना संभव नहीं होगा।यह आग्रह किया गया कि सेवानिवृत्त न्यायिक/प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने सेवानिवृत्त तहसीलदार, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, न्यायाधिकरणों के पंजीयक और वैधानिक प्राधिकरणों और उच्च न्यायालयों आदि जैसे अर्ध-न्यायिक कार्यों को किया है और जिनका निर्वहन किया है, उन्हें एक निश्चित वेतन के लिए विशेष न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने का विकल्प खोजा जाए।

5. एन. आई. अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट अदालतों का गठन Cr.P.C, 1973 की धारा 18 (एस. 13, Cr.P.C के साथ) के तहत किया जा सकता है।इस कार्रवाई के लिए अधिकार है-(संदर्भ।कदरा पहाड़ियाव।बिहार राज्य, [(1997) 4 एससीसी 287]।तहसीलदार और मजिस्ट्रेट जैसे सेवानिवृत्त लोक सेवकों को विशेष न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।इन न्यायालयों के संचालन के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों और सेवानिवृत्त अदालत कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

6. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से पता चला कि एन. आई. अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे को जब्त करने के लिए अदालतों के समक्ष विभिन्न चरणों में 08.11.2021,26,07,166 शिकायतें लंबित थीं। 13.04.2022 पर, यह विचाराधीनता बढ़कर 33,44,290 हो गई है।यह केवल 5 महीने की अवधि में 7,37,124 मामलों के लंबित होने में वृद्धि है।08.11.2021 पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एन. आई. अधिनियम के मामले अदालतों में लंबित कुल आपराधिक मामलों में 8.81% का योगदान

करते हैं।इसके अलावा, उपस्थिति/सेवा से संबंधित मुद्दों के कारण ठहराव वाले कुल आपराधिक मामलों में से 11.82% एन. आई. अधिनियम के मामले हैं।

7. न्यायमित्र एन. आई. ए. अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों को संचालित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और सेवानिवृत्त अदालत कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना का परीक्षण करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन का सुझाव देते हैं। यह सुझाव दिया गया था कि इस योजना का परीक्षण सबसे अधिक विचाराधीनता वाले 5 राज्यों (महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश) में सबसे अधिक विचाराधीनता वाले 5 न्यायिक जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जा सकता है और पायलट अध्ययन के परिणामों के आधार पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं के उपयोग की व्यवहार्यता की जांच की जा सकती है।

जी.

8. इस उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 27.04.2022 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है।

एच.

उत्तर प्रदेश न्याय मित्र के सुझावों का जवाब देगा।उनके जवाब इस प्रकार हैं:

ए। बॉम्बे उच्च न्यायालय-उच्च न्यायालय ने नागपुर, नासिक, ठाणे, पुणे और सीएमएम, मुंबई को सबसे अधिक विचाराधीनता वाले 5 जिलों के रूप में पहचाना है।

बी। राजस्थान उच्च न्यायालय-उच्च न्यायालय ने जयपुर मेट्रो-I, जयपुर मेट्रो-II, जोधपुर मेट्रो, उदयपुर और अजमेर को सबसे अधिक लंबित 5 जिलों के रूप में पहचाना है।

ग. उच्च न्यायालय इलाहाबाद-उच्च न्यायालय ने लखनऊ, आगरा, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को सबसे अधिक विचाराधीनता वाले 5 जिलों के रूप में पहचाना है।

घ. गुजरात उच्च न्यायालय-उच्च न्यायालय ने दिया है

प्रायोगिक परियोजना के अनुसार एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त अदालत की स्थापना के लिए सहमति।

ई. दिल्ली उच्च न्यायालयःदिल्ली में पहले से ही एन. आई. अधिनियम के तहत मामलों के लिए **72** विशेष अदालतें हैं।

9. इस न्यायालय ने 12.05.2022 पर संकेत दिया था कि न्याय मित्र प्रायोगिक अध्ययन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रख सकते हैं, जो तब से दायर किया गया है।

10. न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद न्यायालय एतद्द्वारा निर्देश देता है कि प्रायोगिक अध्ययन आगे बताए गए तरीके से किया जाएगा।प्रायोगिक अध्ययन को शामिल करने वाले दिशानिर्देश इस प्रकार होंगेः

• अध्ययन की अवधिःप्रायोगिक अध्ययन 01.09.2022 से 31.08.2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा।

• न्यायालयों की संख्याःप्रायोगिक अध्ययन कुल मिलाकर 25 विशेष न्यायालयों में किया जाएगा।5 न्यायिक जिलों में से प्रत्येक में एक विशेष न्यायालय की साबित जाएगी, जिनकी पहचान राज्यों के पांच उच्च न्यायालयों (ऊपर उल्लिखित) में से प्रत्येक द्वारा एन. आई. अधिनियम के मामलों की उच्चतम लंबितता के साथ सबसे अधिक लंबित होने के रूप में की गई है।

जी.

• पीठासीन अधिकारी और कर्मचारीःसंचालन के लिए

इस प्रायोगिक अध्ययन के तहत विशेष न्यायालयों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और सेवानिवृत्त अदालत कर्मचारियों, अधिमानतः वे जो पिछले 5 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त हुए हैं, को नियुक्त किया जा सकता है।संबंधित ए

एच.

281

इन आरईःएन. आई. अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों का विशिष्ट परीक्षण [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि इस अवधि के दौरान कोई रिक्ति उत्पन्न न हो।

• आवश्यकताओं की पहचान के लिए समयरेखाःद.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन सहित बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं की पहचान की जानी चाहिए और जुलाई 2022 तक उन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए।इसी तरह, इन विशेष न्यायालयों के संचालन के लिए आवश्यक पीठासीन अधिकारी, सहायक कर्मचारी और मानव संसाधन और उनकी संविदात्मक शर्तों को जुलाई 2022 के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

• प्रशिक्षणःचिन्हित न्यायिक अधिकारी, जो विशेष न्यायालयों की अध्यक्षता करेंगे, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।एन. आई. अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित मूल, प्रक्रिया और साक्ष्य कानून के विषयों पर राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा उनके लिए चार सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।इसके अलावा, न्यायिक अभ्यास में उनकी सहायता के लिए शासी मामले कानून और व्यवहार निर्देशों के साथ एक विस्तृत तैयार गणनाकर्ता तैयार किया जा सकता है और वितरित किया जा सकता है।• वेतन और सेवा अवधिःसंबंधित उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष न्यायालयों को संचालित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों को प्रायोगिक अध्ययन की अवधि के लिए एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जा सके।यह भी प्रस्तावित किया गया है कि उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले उनकी स्थिति के अनुसार एक निश्चित मानदेय दिया जाए।

• मामलों के प्रकारःविशेष अदालतें केवल उन मामलों पर निर्णय देंगी जिनमें समन विधिवत जारी किए गए हैं और आरोपी वकील के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है। जिन सबसे पुराने लंबित मामलों में समन की सेवा पूरी हो चुकी है, उनकी पहचान कालानुक्रमिक तरीके से (सबसे पुराने पहले) की जानी चाहिए।यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी मामला जहां समन की सेवा अधूरी है, विशेष न्यायालयों को नहीं भेजा जाए।

जी.

• मामलों की पहचान के लिए समय-सीमाःऐसे सभी मामले

जुलाई तक इन मामलों की पहचान की जानी चाहिए और इन मामलों की एक व्यापक सूची नियमित मजिस्ट्रेटों के समक्ष शीघ्रता से पेश की जानी चाहिए ताकि जिन मामलों का निपटारा किया जा सके उन्हें भेजा जा सके।

तत्काल मध्यस्थता करने के लिए और इसलिए, विशेष न्यायालयों में भेजे जाने वाले मामलों का हिस्सा नहीं हैं।मामलों की अंतिम व्यापक सूची, जहां सेवा पूरी हो चुकी है और मामलों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा गया है, की पहचान जुलाई के अंत तक की जानी चाहिए।

• अग्रिम सूची और साप्ताहिक सूची:सभी की एक अग्रिम सूची

विशेष न्यायालयों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों को जुलाई के अंत तक प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि सभी अधिवक्ताों को पर्याप्त सूचना दी जा सके कि ऐसे मामलों को संबंधित विशेष न्यायालयों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।इसके अलावा, अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों को अधिसूचित करते हुए साप्ताहिक सूचियां भी प्रकाशित की जाएंगी।

• न्यायालयों की कार्यप्रणाली:अग्रिम सूची के प्रसार के साथ-साथ विशेष न्यायालयों के कार्य दिवसों और कार्य घंटों को जुलाई के अंत तक अधिसूचित किया जाना चाहिए।

• प्रक्रिया:प्रायोगिक अध्ययन के लिए स्थापित विशेष न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा अनिवार्य मुकदमे के संबंध में उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे।मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से नोटिस की कमी के आधार पर नियमित रूप से स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए।बाहरी गवाहों की आगे की जांच उचित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑनलाइन की जा सकती है ताकि गवाहों के आने-जाने के कारण मुकदमे में देरी से बचा जा सके।• मध्यस्थता:जुलाई के अंत तक मध्यस्थों की एक सूची या पैनल की पहचान की जानी चाहिए और विशेष न्यायालय के सभी पीठासीन अधिकारियों को वितरित की जानी चाहिए।यदि अभियुक्त विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे का निपटारा करने की इच्छा का संकेत देता है, तो पीठासीन अधिकारी को आगे की देरी को रोकने के लिए चिन्हित मध्यस्थों में से किसी एक के समक्ष मामले को समयबद्ध, ऑनलाइन मध्यस्थता के लिए भेजना होगा।

• आंकड़ों का संग्रहःनिपटान का एक साप्ताहिक विवरण संबंधित उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को भेजा जाएगा जो प्रायोगिक अध्ययन की प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी करेंगे।निपटान के तिमाही विवरण एस. सी. को भेजे जाने चाहिए। विशेष न्यायालयों के लिए एक सुविधा अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जो आंकड़ों के संग्रह, कारण सूचियों को तैयार करने और अध्यक्ष ए के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने में सहायता कर सके।

जी.

एच.

283

इन आरईःएन. आई. अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों का विशिष्ट परीक्षण [एस. रवींद्र भट, जे.]

अधिकारी किसी भी अतिरिक्त बाधाओं या मुद्दों की पहचान करें जिनका भविष्य की योजना के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।11. इस न्यायालय का महासचिव यह सुनिश्चित करेगा कि वर्तमान आदेश की एक प्रति सीधे उक्त पांच उच्च न्यायालयों के महापंजीयकों को भेजी जाए, जो इसे तत्काल कार्रवाई के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे।प्रगति और अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए, उक्त पांच उच्च न्यायालयों में से प्रत्येक 21.07.2022 पर या उससे पहले एक हलफनामा दायर करेगा।आगे की कार्यवाही की समीक्षा करने के लिए 26.07.2022 पर सूचीबद्ध करें।

बिभूति भूषण बोस

निर्देश जारी किए गए।

जी.

एच.